छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 222 प्रकरण क्रमांक –**SM-URP-2024-02357**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, संभाग–01, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
09/09/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – रजिस्ट्रार, भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, द्वारा–कार्यपालन अभियंता, पता–छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, संभाग–01, सेजबहार, जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा खसरा–630 एवं अन्य खसरा नंबर, कुल रकबा 1.052 हेक्टेयर भूखंड को विकसित किये जाने हेतु विकास अनुज्ञा दिनाँक 03.04.2018 को प्राप्त की गई है, किंतु भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–03 के अधीन पंजीयन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा–59 का उल्लघंन हुआ है, जो कि दंडनीय है। – प्राधिकरण द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का छ.ग. रेरा में दिनाँक 04.07.2018 को पंजीकृत किया जा चुका है, जिसका पंजीयन क्रमांक–PCGRERA040718000442 है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – **(धनंजय देवांगन)** सदस्य सही / – **(संजय शुक्ला)** अध्यक्ष	